

म0प्र0शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, राज्य-भवन, ओपाल-462004

क्रमांक- २०) /2086919/2024/20-3

ओपाल, दिनांक २६/१२/२०२४

प्रति,

सचिव

री0बी0एस0ई0,

नई दिल्ली।

विषय:- अशासकीय संस्था को री0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अबापत्ति प्रमाण पत्र देवे यावत्।

राज्य शासन एतद् कारा अशासकीय संस्था-बीनवेली हायर सेकेण्डरी स्कूल कानपुर, जिला-खगोन, म0प्र0 को री0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अबापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रदान किया जाता हैः-

- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से संबंधित मिलने के उपरांत भी मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम, 2017 में दिये गये प्रावधानों का पालन किया जावेगा।
- (2) विद्यालय प्रबंधन कारा विद्यालय की प्रबंधन समिति में संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण तथा उनके कारा नामांकित एक प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में नामांकित करना होगा तथा प्रबंधन समिति की बैठकों में शासकीय सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- (3) संस्था कारा प्रवेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क यथा-समय प्रकाशित किये जायेंगे। शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं किया जायेगा।
- (4) संस्था विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल का मैदान, छात्रावास भवन की सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु संस्था से वचन पत्र लिया जाय।
- (5) संस्था कारा प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेलों आदि के आयोजन में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रधान की .....

निरन्तर...2

जायेगी।


- (6) निःशक्ति छात्रों को निवेदन संस्था को प्रेस की व्यापत्ति करना आवश्यक होगा। संस्था निःशक्ति छात्रों को प्रत्येक ऐसे मैं हुकार नहीं करेगी। इस संबंध में प्राप्त विवरण यह है कि यह छात्री भाँति तो जंगला का अनापत्ति प्रमाण प्राप्त सम्मान करने की कार्यतात्त्वीय की तरफ सकौटी।
- (7) छात्र/छात्राओं को शालाओं में लगने वाली पुस्तकों पर विषयन गामनी खूले बाजार से कम करने की सुझाव रहेगी। किसी दुकान विशेष में कम करने की व्यवस्था नहीं रहेगी।
- (8) संस्था के छात्रों को उनके विवास से विद्यालय तक लाने एवं वापस भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैद्य वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू ऐलोचीजी० आदि से संचालित नहीं किया जायेगा।
- (9) शिक्षण संस्था में मान० उच्चतम व्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कियाशील अग्नि-शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था की जायेगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन भी करना होगा।
- (10) छात्रों की सुरक्षा तथा परिवहन के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग व परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
- (11) संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेंगी।
- (12) संस्था के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।
- (13) विद्यालय प्रबंधन विद्यालय में प्रवेश के लिये बच्चों तथा माता-पिता .....

निरन्तर..3

अथवा अधिकारको को किसी भी प्रकार की स्कीमिंग प्रक्रिया वही  
अपनायेगा।

- (14) संबंधित विद्यालय वार मैत्री शैक्षणिक/लौक शैक्षणिक अमते की सेवा-शर्तों  
जो कि सभ्य शासन के सम्मान तोता तात्पुर के गतवर्त न होने की  
स्थिति में संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण अनुशङ्कक  
कार्यवाही हेतु सहम होगे।
- (15) सम्यक निरीक्षण के पश्चात एक बार मान्यता प्रदान कर दिये जाने पर  
सोसायटी/ट्रस्ट मान्यता के समय दावाकृत किसी भी मापदण्डों को  
परिवर्तित नहीं करेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी भी समय  
स्कूल परिसर का निरीक्षण कर सकते हैं, यदि निरीक्षण के समय यह  
पाया जाता है कि सोसायटी/ट्रस्ट किसी मापदण्डों का पालन नहीं कर रहा  
है तो संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण को मान्यता नियम,  
2017 के नियम-11 के उप नियम-(1) में विविर्दिष्ट प्रक्रिया का  
अनुसरण करते हुये स्कूल की मान्यता निलंबित करने और पश्चातवर्ती  
इसे वापिस लेने की शक्ति होगी।
- (16) अशासकीय विद्यालयों में संचालित वाहनों में एक महिला एवं एक पुरुष  
परि-चालक की व्यवस्था की जाय तथा वाहन में निर्धारित सीट से अधिक  
छात्र/छात्राओं को नहीं बैठाया जाय।
- 2/ उपर्युक्तानुसार शर्तों का पालन न करने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त  
किया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,  
  
 (ओ०एल०मण्डलोई)

उप सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ०क्रमांक- ५०२ /२०८६९१९/२०२४/२०-३

भोपाल, दिनांक २६/१२/२०२४

प्रतिलिपि:-

- (1) विशेष सहायक, मान० मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- (2) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म०प्र० भोपाल।

मुख्यमंत्री द्वारा जूलाई

//4//

- (3) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मोपाल।  
(4) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग.....मोपाल।  
(5) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-खरगोन, मोपाल।  
(6) प्राचार्य, अशासकीय संस्था-ग्रीनवेली हायर सेकेण्डरी स्कूल कानापुर,  
जिला-खरगोन, मोपाल।  
(7) फोल्डर प्रति,

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

१६/६/२५  
उप सचिव

मोपालशासन, स्कूल शिक्षा विभाग